संख्या– 2872/XV-2/8(2)/2010

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,
सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 1 नवम्बर -अक्टूबर, 2010

विषय– केन्द्रपोषित योजना अर्न्तगत एकीकृत मत्स्य पालन (अर्न्तदेशीय जल कृषि एवं मात्स्यिकी का विकास) हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम धनराशि रू0 42–65 लाख का वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रतिपूर्ति के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में केन्द्रपोषित योजना अर्न्तगत एकीकृत मत्स्य पालन (अर्न्तदेशीय जल कृषि एवं मात्स्यिकी का विकास) हेतु शासनादेश संख्या–635/2009XV-2/8(2)/2010, दिनांक 09 मार्च, 2010 द्वारा आकस्मिकता निधि से अग्रिम रू0 42.65 लाख (रू0 बयालिस लाख पैसठ हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गई थी ।

2–चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की सुसंगत लेखाशीर्षकों के अर्न्तगत इस मद में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम प्राविधानित कुल धनराशि रू0 85–60 लाख में से आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 42.65 लाख की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार की जाती है :–

आय–व्ययक 2010–11 अनुदान संख्या–28	धनराशि रू0 हजार में
2405–मछली पालन	
01–आयोजनागत	
101–अन्तदेर्शीय मछली पालन	
01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये (75% के0स0)	
01–एकीकृत मत्स्य पालन (अन्तदेर्शीय जल कृषि एवं मात्स्यिकी का विकास)	
20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	4265
कुल योग : –	**4265**

(रूपये बयालीय लाख पैंसठ हजार मात्र)

अतः अनुरोध है कि तद्नुसार वित्तीय लेखे 2010–11 में अंकन की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या– 2872/XV-2/8(2)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, मत्स्य विभाग, देहरादून।
2. कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–01/04, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0 पंत)
अनु सचिव।